नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation
(A Govt. of India Undertaking, Under the Ministry of Social Justice & Empowerment)
An ISO 9001 : 2008 Certified Company

स्पीड पोस्ट

एनएसकेएफडीसी/परियोजना/बिहार/03/2014 | 2625 दिनॉंक 29.12.2014

सेवा में,
सदस्य सचिव,
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
6–दक्षिण बैली रोड,
पटना–800 001
बिहार

विषयः– मुस्लिम स्कैवेंजरों के पुर्नवास एवं कल्याण हेतू।

महोदय,

कृपया अपने पत्र क्रमांक 1098 दिनॉंक 09.12.2014 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा हमें यह अवगत कराया है कि बिहार राज्य में मुस्लिम स्कैवेंजरों के पुर्नवास की योजना को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तिय निगम से कार्यान्वित करने हेतू अनुशंसा की गई थी।

इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि एनएसकेएफडीसी की ऋण नीति एवं मार्गदर्शिका के अनुसार निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए है।

मैनुअल स्कैवेंजर का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा स्थानीय अधिकारी अथवा अभिकरण ठेकेदार द्वारा किसी अस्वच्छ शौचालय में अथवा किसी खुले नाले या गड्ढे में जिसमें अस्वच्छ शौचालय से मानव मल निस्तारित किया जाता है अथवा रेलवे ट्रैक पर अथवा ऐसे स्थानों या परिसरों में, जैसाकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, मानव मल, उसके निर्धारित ढंग में अपघटित होने से पहले, मानवीय रूप से सफाई, वहन, निस्तारण अथवा अन्य किसी प्रकार से संचालन के लिए अनुबंधित अथवा नियुक्त व्यक्ति है और ''मैनुअल स्वच्छताकार्य'' की अभिव्यक्ति तदनुसार समझी जायेगी।

(क) ''अनुबंधित अंथवा नियुक्त'' का अभिप्राय नियमित या संविदा आधार पर अनुबंधित नियुक्त है।

(ख) मल की सफाई ऐसे उपकरणों की सहायता से करने हेतू अनुबंधित अथवा नियुक्त व्यक्ति तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित साधनों का उपयोग करने वाला व्यक्ति ''मैनुअल स्वच्छताकर्मी'' नहीं माना जायेगा।

सफाई कर्मचारी का तात्पर्य किसी सफाई कार्य के लिए अनुबंधित अथवा नियुक्त व्यक्ति और उसके आश्रित जन से है।

1. वित्तिय सहायता के प्रयोजनार्थ सफाई कर्मचारियों अथवा स्वच्छताकर्मी के आश्रितों का अभिप्राय उसके परिवार का सदस्य है जो उस पर आश्रित है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा अधिक है तथा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आयु सीमा 17 से 40 वर्ष तक है।

PrashantDesktop/Hindi Letter File

–2

बी-2, भूतल एवं प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव भाग-II, (सावित्री सिनेमा के सामने) नई दिल्ली-110 048
B-2, Ground & First Floor, Greater Kailash Enclave Part-II, (Opposite Savitri Cinema), New Delhi-110 048
Phone : 011-29221331, 29216330 Fax : 011-29222708
Email: nskfdc-msje@nic.in Website : http://www.nskfdc.nic.in

2 वित्तिय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आय सीमा नियत नहीं है। तथापि, अन्य बातें समान रहनें पर, कंपनी निम्न के आर्थिक विकास तथा पुनरूत्थान को प्राथमिकता देगी।

i) स्वच्छकार और स्वच्छकारों में ऐसे स्वच्छकार जिनकी आय दोहरी गरीबी रेखा से नीचे है।

ii) लक्ष्य समूह से महिलाएं तथा

iii) लक्ष्य समूह से विकलांग व्यक्ति।

इस संबंध में आपको आगे अवगत कराना है कि एनएसकेएफडीसी के द्वारा बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, को सभी पात्र लक्षित समूह को लाभान्वित करने के लिये आदेश दिये गये है एनएसकेएफडीसी की योजनान्तर्गत लक्षित समूह के क्यक्ति चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के क्यों न हो, सभी को लाभान्वित करना होता है।

धन्यवाद

भवदीय

वी.के.परवंदा

(वी. के. परवंदा)
उप महा प्रबंधक

प्रति संलग्नित

PrashantDesktop/Hindi Letter File